प्रेस विज्ञप्ति
14.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हर्ष यादव पुत्र राजेश यादव को 11.09.2024 को गुरुग्राम के सेक्टर-49 में स्थित 343, टॉवर-बी3, तीसरी मंजिल, स्पेज-I में स्थित 85.60 लाख रुपये की अचल संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने के मामले में गिरफ़्तार किया है। हर्ष यादव को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यह संपत्ति अमित कुमार, अर्चना शर्मा और अन्य द्वारा चलाए जा रहे अवैध ड्रग तस्करी के अनुसूचित अपराध से उत्पन्न प्रत्यक्ष अपराध की आय (POC) है। गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की माननीय अदालत ने उसे 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है।

ईडी ने अमित कुमार, संजय सिंह, अर्चना शर्मा, मेसर्स जातक सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे मेसर्स जेडएसपीएल कहा जाएगा) और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायत और आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स जेडएसपीएल के अमित कुमार एक इंटरनेट आधारित फार्मेसी चला रहे थे, जो मेसर्स फार्मा ग्लो नामक अपनी दूसरी फर्म की ओर से विदेशों यानी अमेरिका में नारकोटिक्स ड्रग्स/साइकोट्रोपिक दवाओं का निर्यात कर रहे थे। अब तक इस मामले में अधिकारियों ने भारी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग्स/साइकोट्रोपिक दवाएं, विभिन्न अधिकारियों के 17 जाली रबर स्टैम्प, 57 वेबसाइटों की सूची और साइकोट्रोपिक पदार्थों की एक ऑर्डर सूची सहित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इस मामले में कुल आपराधिक आय (पीओसी) 23.32 करोड़ रुपये है।

नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बिक्री से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त पीओसी का इस्तेमाल अमित कुमार ने विभिन्न रियल एस्टेट संपत्तियां हासिल करने के लिए किया था। ईडी ने अब तक 5.73 करोड़ रुपये की कीमत की 7 ऐसी संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 343, टॉवर-बी 3, तीसरी मंजिल, स्पेज- I, टेक पार्क, सेक्टर-49, गुरुग्राम, हरियाणा स्थित संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने इस संपत्ति को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि, ईडी द्वारा सील की गई संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से खोलकर हर्ष यादव ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने गलत तरीके से स्वामित्व का दावा करते हुए संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दिया। ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति के लिए हर्ष यादव ने अपनी मां बबीता यादव के नाम पर एक रेंटल एग्रीमेंट बनाकर जानबूझकर अवैध आय से लाभ उठाया।

ईडी द्वारा हर्ष यादव के आवास पर भी तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य बरामद हुए, जिनमें ऐसे दस्तावेज भी शामिल थे, जो प्रथम दृष्टया जाली प्रतीत होते हैं।

जांच के दौरान यह भी पता चला कि हर्ष यादव के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जालसाजी, सिक्कों, मुद्रा और सरकारी टिकटों (सरकारी प्रतिभूतियों) की जालसाजी जैसे अपराध शामिल हैं।

आगे की जांच जारी है।